

शशि साह, शिव कु मार सिंह सहित वार्ड प्रा. विद्यालय डाकराहा

फाइलों में गुम हुआ किसानों की आजादी का सपना

सम्राट कुमार

कांटी। तीन-तीन मुख्यमंत्रियों एवं दो केन्द्रीय मंत्रियों के आदेश के बावजूद बिहार सरकार के नौकरशाह 30 वर्षों में भी जलजमाव से हजारों किसानों को मुक्ति न दिला सके। जिले के कांटी, मड़वन, कुढनी एवं मोतीपुरं प्रखंड की करीब 50 हजार एकड़ भूमि वर्ष 1962 से जलमज्न है जिससे सरकार को प्रतिवर्ष मालगुजारी के रुप में सवा च्यारह लाख रुपये राजस्व की प्रासि होती है वहीं इस भूमि के स्वामी अनाज के एक-एक दाने के लिए तरस रहे हैं। जलजमावं से मुक्ति का इन किसानों का सपना अब तार-तार हो चला है।

बिसारा परगना अन्तर्गत कांटी प्रखंड के बकटपुर, मड़वन प्रखंड के बड़कागांव उत्तरी एवं दक्षिणी, झखड़ा शेख, गवसरा, करजा, भटौना, मक्दुमपुर, कोदरिया, मोतीपुर प्रखंड के पट्टी असवारी, ठिकहां, पाना छपड़ा, सिंघौल, जुनेदा, महवल, महमदा एवं बंगरा फिरोज जैसे दर्जनों गांवों के बीच अवस्थित 50 हजार एकड़ कृषि योज्य भूमि वर्ष 1962 से नून नदी द्वारा पोषित तिरहुत मुख्य कैनाल के धूमनगर वाहन ब्रिज गेट संख्या-633 के कारण लगातार जलमज्न है। फुलेश्वर

30 वर्षों से जलमग्न है चार प्रखंडों की करीब 50 हजार एकड़ भूमि

प्रसाद, सुरेन्द्र तिवारी जैसे हजारों पीड़ित किसान न अन्न जुटा पाते हैं और न जमीन बेचकर अपनी जवान पुत्रियों की शादी ही कर पा रहे हैं क्योंकि जिससे भी वे अपनी जमीन खरीदने की बात कहते हैं वह सीधा सा जबाब देता है कि पानी में उनकी जमीन आखिर कहां मिलेगी। जलजमाव की त्रासदी से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए वर्ष 1977 से वर्ष 1995 तक मृत्युपरंत संघर्षरत रहे साहेबगंज के तत्कालीन विधायक व सांसद शिवशरण सिंह को भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वर्ष 1962 के बाद किसानों के आन्दोलन पर क्षेत्र का भ्रमण करने आये तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रं, बिन्देश्वरी दूबे एवं चन्द्रशेखर सिंह के आदेश भी नौकशाहों को कर्त्तव्य के प्रति जगा न सके। इससे आक्रोशित सैकड़ों किसानों ने वर्ष 1980 में पटना सचिवालय के समक्ष 15 दिनों तक आमरण अनशन भी किया किंतु मामला वहीं का वहीं अटका रहा। फिर वर्ष 1988 में आन्दोलन पर सरकार थोड़ी सजग हुई और 25 मई को अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव जल संसाधन जीवी तिवारी ने पत्रांक 728 से विधान पार्षद महाचन्द्र सिंह के साथ समस्या पर विचार के लिए 13 जून का समय निर्धारित किया किंतु उस बैठक में भी समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। बाद में हुयी बैठकों में भी जलनिकासी की जांच के लिए उप-समाहर्ता, भूमि सुधार को भार देकर मामला टाल दिया गया। 8 सितम्बर 1988 को उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार ने जांच कर कैनाल का नक्सा तैयार कर जल निकासी की योजना सरकार के पास भेजीं किंतु सरकार को यह प्रस्ताव वर्ष 1998 में मिला। फिर भी इसपर किसी का ध्यान नहीं गया। पीड़ित किसानों ने वर्ष 1999 में स्थानीय सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह का घेराव किया। सांसद ने अपने मद से उक्त नाले के प्रस्ताव पर तीन लाख रुपये आवंटित किया किंतु उक्त राशि जल निकासी के लिए बने नाले में जाने कहां डूब गयी और समस्या जस की तस बनी हुयी है। हाल यह है कि तीस वर्षों से अपनी आजीविका का साधन गंवा चुके किसान बाहर के प्रदेशों में पलायन कर गये हैं या चाय-पान की दुकान से अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं।

शशि साह, शिव कुमार सिंह सहित वार्ड

प्रा. विद्यालय डाकराहा

ए

य

फाइलों में गुम हुआ किसानों की आजादी का सपना

सम्राट कुमार

कांटी। तीन-तीन मुख्यमंत्रियों एवं दो केन्द्रीय मंत्रियों के आदेश के बावजूद बिहार सरकार के नौकरशाह 30 वर्षों में भी जलजमाव से हजारों किसानों को मुक्ति न दिला सके। जिले के कांटी, मड़वन, कुढनी एवं मोतीपुरं प्रखंड की करीब 50 हजार एकड़ भूमि वर्ष 1962 से जलमज्न है जिससे सरकार को प्रतिवर्ष मालगुजारी के रुप में सवा च्यारह लाख रुपये राजस्व की प्राप्ति होती है वहीं इस भूमि के स्वामी अनाज के एक-एक दाने के लिए तरस रहे हैं। जलजमाव से मुक्ति का इन किसानों का सपना अब तार-तार हो चला है।

बिसारा परगना अन्तर्गत कांटी प्रखंड के बकटपुर, मड़वन प्रखंड के बड़कागांव उत्तरी एवं दक्षिणी, झखड़ा शेख, गवसरा, करजा, भटौना, मक्दुमपुर, कोदरिया, मोतीपुर प्रखंड के पट्टी असवारी, ठिकहां, पाना छपड़ा, सिंघौल,

जुनेदा, महवल,

महमदा एवं बंगरा फिरोज जैसे दर्जनों गांवों के बीच अवस्थित 50 हजार एकड़ कृषि योज्य भूमि वर्ष 1962 से नून नदी द्वारा पोषित तिरहुत मुख्य कैनाल के धूमनगर वाहन ब्रिज गेट संख्या - 633 के कारण लगातार जलमज्न है। फुलेश्वर

सिंह को भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वर्ष 1962 के बाद किसानों के आन्दोलन पर क्षेत्र का भ्रमण करने आये तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, बिन्देश्वरी दूबे एवं चन्द्रशेखर सिंह के बिन्देश्वरी दूबे एवं चन्द्रशेखर सिंह के आदेश भी नौकशाहों को कर्तव्य के प्रति

30 वर्षों से जलमग्न है चार प्रखंडों की करीब 50 हजार एकड़ भूमि

प्रसाद, सुरेन्द्र तिवारी जैसे हजारों पीड़ित किसान न अन्न जुटा पाते हैं और न जमीन बेचकर अपनी जवान पुत्रियों की शादी ही कर पा रहे हैं क्योकि जिससे भी वे अपनी जमीन खरीदने की बात कहते हैं वह सीधा सा जबाब देता है कि पानी में उनकी जमीन आखिर कहां मिलेगी। जलजमाव की त्रासदी से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए वर्ष 1977 से वर्ष 1995 तक मृत्युपरांत संघर्षरत रहे साहेबगंज के तत्कालीन विधायक व सांसद शिवशरण

जगा न सके। इससे आक्रोशित सैकड़ों किसानों ने वर्ष 1980 में पटना सचिवालय के समक्ष 15 दिनों तक आमरण अनशन भी किया किंतु मामला वहीं का वहीं अटका रहा। फिर वर्ष 1988 में आन्दोलन पर सरकार थोड़ी सजग हुई और 25 मई को अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव जल संसाधन जीवी तिवारी ने पत्रांक 728 से विधान पार्षद महाचन्द्र सिंह के साथ समस्या पर विचार के लिए 13 जून का समय निर्धारित किया

→

किंतु उस बैठक में भी समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। बाद में हुयी बैठकों में भी जलनिकासी की जांच के लिए उप-समाहर्ता, भूमि सुधार को भार देकर मामला टाल दिया गया। 8 सितम्बर 1988 को उप समाहर्ता, भूमि सुधार ने जांच कर कैनाल का नक्सा तैयार कर जल निकासी की योजना सरकार के पास भेजी किंतु सरकार को यह प्रस्ताव वर्ष 1998 में मिला। फिर भी इसपर किसी का ध्यान नहीं गया। पीड़ित किसानों ने वर्ष 1999 में स्थानीय सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह का घेराव किया। सांसद ने अपने मद से उक्त नाले के प्रस्ताव पर तीन लाख रुपये आवंटित किया किंतु उक्त राशि जल निकासी के लिए बने नाले में जाने कहां

डूब गयी और समस्या जस की तस बनी हुयी है। हाल यह है कि तीस वर्षों से अपनी आजीविका का साधन गंवा चुके किसान बाहर के प्रदेशों में पलायन कर गये हैं या चाय-पान की दुकान से अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं।